

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 2 (क )/अलेसे । लिंक न . 5524 / 1250

दिनांक :- 21/01/2022

आदेश

24-01-2022

श्री /श्रीमती / सुश्री श्रीकिशन शर्मा [लिंक नं. 5524] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चूरू - [20364] जिनकी जन्म तिथि 05/07/1963 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01/03/2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 01/03/2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री श्रीकिशन शर्मा की कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति तिथि 25/04/1990 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीकिशन शर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।

  
( भूपेश माथुर)

निदेशक

क्रमांक :- प 2 (क )/अलेसे । लिंक न . 5524 / 1250

दिनांक :- 21/01/2022

24-01-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग .....
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चूरू
4. कोषाधिकारी चूरू
5. श्री /श्रीमती / सुश्री श्रीकिशन शर्मा [5524] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चूरू
6. निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट

  
( धीरज सिसोदिया)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)